जीवराज बनाम सोराम वगैरह

यह पत्रावली अभिभाषक श्री राकेश अरोड़ा के द्वारा दिनांक 26.11.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने पर तलब की गई। प्रार्थना पत्र की प्रति अभिभाषक रेस्पोडेन्टस को दी गई। प्रार्थना पत्र पर बहस अभिभाषक उभयपक्ष की सुनी गई।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 104/2013 का दिनांक 28.10.2015 को निस्तारण हो जाने के कारण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जो कि धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की है जो सारहीन हो चुकी हैं इसलिए खारिज योग्य हैं।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।